# न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली जिला उदयपुर (राज0)

**पीठासीन अधिकारी : मोहनसिंह , RAS.**

**पत्रावली संख्या : 266/17 (वाद)**

1. श्री वदनसिंह पिता श्री वगतसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क,निवासी पालवास कलॉ तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)

**.....वादी**

**बनाम**

1. नन्दा जी पिता तला जी गाडरी आयु वयस्क,निवासी सालेराकला तहसील मावली हाल – रख्यावल, जिला उदयपुर (राज0)
2. परथा पिता हेमा गाडरी आयु वयस्क,निवासी सालेराकला तहसील मावली, हाल – रख्यावल जिला उदयपुर (राज0)

2/1.श्रीमती लसु पत्नी परथा गायरी निवासी रख्यावल तह.मावली।
2/2.श्रीमती रूपीबाई पुत्री परथा पत्नी कन्ना गायरी निवासी कदमाल।
2/3. श्रीमती कंकुबाई पु त्री परथा पत्नी उदा गायरी निवासी शिशवी।
2/4.श्रीमती मोती पुत्री परथा पत्नी देवा गायरी निवासी देवाली तह.मावली।

**.....प्रतिवादीगण**

**उपस्थितः–** श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता वादी।

## वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राज0टि0एक्ट

## –: : निर्णय : :–

**दिनांकः 22.02.2019**

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा पालवासकलॉ , तहसील मावली ,जिला उदयपुर (राज0) मे स्थित भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है आराजी खसरा नं. 183,184 किता 2 रकबा 12.18 बिस्वा है।

2. यह कि वादी व प्रतिवादीणे का सर्जरा निम्न है :–

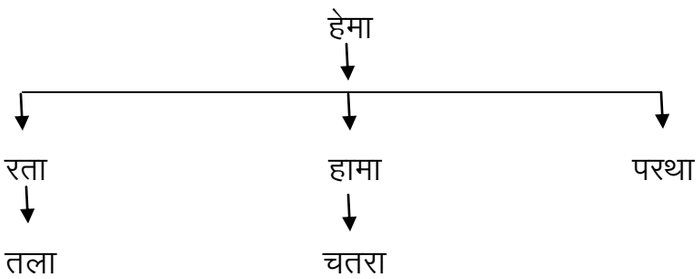


उक्त सजरे के अनुसार मूल पुरूष हेमा जी थे, जिनके तीन पुत्र रता, हामा, एंव परथा जी हुए इसमें से रत्ता व परथा के जीवनकाल में हामा व

उसका पुत्र श्री चतरा ला–औलाद फौत हो गये जिसमें हेमा की कुल कृषि भूमि रता व परथा के विविध खातेदारी में दर्ज हो गई ।

3. हेमा व चतरा का स्वर्गवास के बाद रताा जी का भी स्वर्गवास हो गया जिससे उक्त भूमि के कुलिया विधिक उत्तराधिकारी परथा व तला रहे जिसकी वजह से चतरा व रता का उक्त भूमि में जो हित व अधिकार था वो अधिकार कुल सम्पति के मालिक परथा और तला जी हुए व परथा व तला जी ने उपरोक्त वर्णित दोनो आराजीयात का विक्रय विलेख दिनांक 11.3.1980 को वादी के पक्ष में लेख बद्व किया रजिस्ट्री कराई गई तथा मौके पर उक्त दौनो आराजीयात का जो कि मौजा पालवासकलॉ तह0 मावली जिला उदयपुर (राज0) में स्थित है, को आधिपत्य प्रदान किया व उक्त पंजीकृत दस्तावेज से उक्त भूमि विधिक खातेदार काश्तकार वादी है। रजिस्ट्री कराए जाते समय रजिस्टर्ड दस्तावेज में गांव का नाम पालवासकलां अकिंत करना चाहीए था किन्तु दस्तावेज लिखे जाने सेवहन से प्रतिवादी का निवास रख्यावल गांव मे होने के कारण गलत अंकित हो गया जबकि दोनो पक्षो ने गांव का नाम पालवास कला अंकित कराया था। मौके पर कब्जा भी पालवासकला भूमि का ही वादी को प्रदान किया गया यानि सम्पूर्ण भूमि पर आधिपत्य वादी का दिनांक 11.03.1980 से आज तक बिना किसी दखल के है ऐसी स्थिति में सेहवन से गांव का नाम गलत अंकित होने की बात दावा लिखते समय ज्ञात हुई क्योंकि दोनो पक्षो के दिमाग में गावं के नाम के बारे में कोई विरोधाभास नही था न उक्त ने दोनो आराजीयात व रकबा गांव रख्यावल में ही है सम्पूर्ण भूमि पालवासकलॉ में स्थित है।

4. उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोला या भूमि के खाते अंकित की गई उसमें वादी के नाम खाते में केवल उक्त भुमि का 2/3 हिस्सा अंकित किए जांने पर ज्ञात हुए तथा साथ ही चतरा पिता हेमा जी का नही आना चाहिए था क्योकि रत्ता व परथा के जीवनकाल में हेमा जी व चतरा जी दोनो का ही स्वर्गवास हो गया था तथा बाद में रत्ता जी का भी स्वर्गवास हो गया था उसका विधिक वारिस उसका लडका तला था और जिस समय उक्त परथा व तला ने अंकित किया कि रत्ता व तला की मृत्यु हो चुकी है तथा हम ही उनके विधिक वारिस होने से उक्त आराजी नं. 183,184 कुल किता 2 रकबा 12 बिघा 18 बिस्वा जमीन सम्पूर्ण आपको विक्रय कर रहे है इस तरह उक्त दौनो सम्पूर्ण मुझ वादी के नाम पर अंकित होना चाहीए था । यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि चतरा पिता हेमा जी ने कभी भी उक्त भूमि अपने नाम कराए जाने हेतु न तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया न कोई कार्यवाही करायी ऐसी स्थिति में चतरा जी का नाम

रेकर्ड से हटाया जाना आवश्यक है । चतरा पिता हेमा जी लाऔलाद फौत हो गये जिसके विधिक प्रतिनिधिगण प्रतिवादीगण है। तला का भी स्वर्गवास हो गया उसका विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 1 नन्दा है जिसको प्रतिवादी बनाया गया है।

5. जमाबन्दी की नकल लिए जाने में ज्ञात हुआ कि जो वदनसिह पिता बदनसिंह का नाम अकिंत कर 2/3 हिस्सा अंकित किया है , जिसमें सेवहन से बदनसिंह पिता वगतसिंह के बजाए बदन सिंह पिता बदनसिंह ज्ञात हुआ है। भूल भी जमाबन्दी में नकल लिए जाने पर ज्ञात हुआ जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है । मुझ वादी को जो पासबुक मिली है उसमें मेरा नम वदनसिंह पिता वगत सिंह ही लिखा है जो सही है।
6. वाद करण दिनांक 01.06.2007 को स्थान पालवासकलॉ तह0मावली जिला उदयपुर में उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उक्त भूमिवादी के नाम अंकित किये जाने से मना कर दिया तथा साथ ही पटवारी ने उक्त दुरस्ती कराए जाने हेतु निवेदन किए जो उन्हाने भी रेकर्ड में सही अंकित किए जाने से माना कर दिया व गलत अंकन को हटाये जाने से मना कर दिया यही वाद कारण प्रतिवादीगण के खिला उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।
7. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि कि वाद पत्र में वर्णित आराजी नं. 183 रकबा 0. 03 बिस्वा व आराजी नं. 184 रकबा 12 बिघा 15 बिस्वा बीड जिसे वादी ने कृषि योग्य बनायी जाती है उसमें कुआं खोदा है तथा 2 फसले वादी द्वारा पैदा की जा रही है उक्त कुलिया भूमि वादी के खातेदारी व आधिपत्य की घोषित फरमाई जावे तथा 1/3 हिस्सा जो चतरा के नाम पर अंकित कर रखा है उसको हटाया जावे तथा मुझ वादी के नाम पर जा 2/3 हिस्सा कर रखा है उसके बजाय सम्पूर्ण हिस्सा मुझ वादी के खातेदारी में घोषित कराया जावे। जमाबन्दी से सवहन से वदनसिंह पिता बदन सिंह अंकित हो गया है उसके स्थान पर वदनसिंह पिता वगत सिंह नाम अंकित कराया जावें।
8. दस्तावेज नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 1 जमाबन्दी नकल प्रदर्श 2 पेश किये गये है।
9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड की गई। पत्रावली पूर्व में न्यायालय हाजा के मूल वाद प्रकरण संख्या 204/07 निर्णय दिनांक 8.09.2014 से अस्वीकार कर खारिज की गई, जिसकी अपील वादी द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहा की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपील संख्या 47/2014 के निर्णय दिनांक 12.4.17 से न्यायालय हाजा का निर्णय अपास्त कर

प्रकरण को पटवारी अथवा सरपंच से चतरा के विधिक वारिसान बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर चतरा के नाम अनावश्यक दर्ज शुदा प्रविष्टि पर विक्रय पत्र के आधार पर यदि अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं हो तथा चतरा के विधिक वारिसान द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किया गया हो तो वादी के वाद में घोषणात्मक राहत प्रदान करें तथा वादी व गांव के नाम को भी शुद्ध करने बाबत् राजस्व कर्मियो से जांच करवाकर वांछित कार्यवाही करने बाबत् प्रतिप्रेषित की गई।

10. माननीय अपीलिय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश की पालना मे तहसीलदार मावली से वारिसान बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजियात दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वदनसिंह एवं चतरा पिता हामा के नाम दर्ज है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के मूल पुरूष हेमा जी थे जिनके वारिस रत्ता , हामा व परथा बताया। रत्ता जी का स्वर्गवास हो गया जिनके पुत्र तला हुए एवं हामा भी फौत है एवं हामा का पूत्र चतरा भी लाऔलाद फौत होना बताया। हामा व चतरा के फौत होने से उक्त भूमि में हामा व चतरा के निकटतम वारिस परथा व तला द्वारा अपने हिस्से मे सम्पूर्ण भूमि को वादी वदनसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 11.3.1980 को विक्रय कर दी जो दिनांक 14.04.1980 को उप पंजीयक मावली में रजिस्टर्ड हुई। चूंकि भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 1 ए से तला व परथा के नाम दर्ज भूमि तो वादी के नाम पर दर्ज हो चुकी है एवं चतरा के नाम दर्ज भूमि वादी के नाम नहीं हुई है। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट में भी चतरा पिता हेमा को लाऔलाद फौत होना बताया है। एवं चतरा के विधिक वारिसान सजरा अनुसार तत्तकालिन रता व परथा होना स्पष्ट है। चूंकि वादी द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से राशि अदा कर तत्तकालिन खातेदार से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर मौके पर काबिज है। चतरा ला औलाद फौत हो चुका है, जिस कारण वक्त विक्रय भूमि पर तला व परथा के कब्जे व अधिकार में थी क्योंकि चतरा के निकटतम वारिस परथा व तला ही थे, जिन्होने सम्पूर्ण भूमि वादी को विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया था। भूमि चतरा के नाम होने एवं चतरा लाऔलाद फौत होने से भूमि वादी के नाम पर दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रकरण में चतरा के विधिक वारिसान परथा एवं तला के अतिरिक्त कोई और वारिस नही होने से भूमि के किये गये विक्रय के आधार पर वादी भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है। चूंकि दस्तावेजात व जमाबन्दी व बयान के अवलोकन से

भूमि पालवासकला पटवार हल्का विरधोलियां की होना जाहिर आया है। वादी द्वारा भी वाद में मौजा पालवास की ही भूमि पर दाद चाही गई है, जो स्वीकार योग्य है।

12. अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा पालवास कलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 183 एवं 184 किता 2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि में खातेदार चतरा पिता हामा के बजाय वादी वदनसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं वादी का शेष भूमि में नाम वदनसिंह पिता वदतसिंह के बजाय वदनसिंह पिता वगतसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

## बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री वदनसिंह पिता श्री वगतसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क,निवासी पालवास कलॉ तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)

.....वादी

**बनाम**

1. नन्दा जी पिता तला जी गाडरी आयु वयस्क,निवासी सालेराकला तहसील मावली हाल – रख्यावल, जिला उदयपुर (राज0)
2. परथा पिता हेमा गाडरी आयु वयस्क,निवासी सालेराकला तहसील मावली, हाल – रख्यावल जिला उदयपुर (राज0)

2/1.श्रीमती लसु पत्नी परथा गायरी निवासी रख्यावल तह.मावली।
2/2.श्रीमती रूपीबाई पुत्री परथा पत्नी कन्ना गायरी निवासी कदमाल।
2/3. श्रीमती कंकुबाई पु त्री परथा पत्नी उदा गायरी निवासी शिशवी।
2/4.श्रीमती मोती पुत्री परथा पत्नी देवा गायरी निवासी देवाली तह.मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 266/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकर किया जाता है कि मौजा पालवास कलां पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 183 एवं 184 किता 2 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि में खातेदार चतरा पिता हामा के बजाय वादी वदनसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं वादी का शेष भूमि में नाम वदनसिंह पिता वदतसिंह के बजाय वदनसिंह पिता वगतसिंह दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.02.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली